न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 34 / 2010

RCMS No. 2010/00018

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1 रामसुख पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी हरीपुर स्टेशन, भादवा बेरा, रायपुर तहसील रायपुर		1. केली बाई पत्नी पुखराज जाति जैन निवासी रायपुर जरिये आम मुख्तियार अमरचन्द पुत्र बिरदीचंद जैन जाति जैन निवासी मेवाडी गेट के पास, ब्यावर जिला अजमेर 2. ग्राम पंचायत रायपुर जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/5/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रायपुर द्वारा मिसल संख्या 3/1960–1961, प्रस्ताव संख्या 390 दिनांक 26.03.1963 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पति पुखराज के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 250 दिनांक 12.01.1964 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण नियत सुनवाई तिथि को वास्ते पैरवी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि के पूर्व में रास्ता, पश्चिम में आम रोड स्टेशन हरीपुर, उत्तर में प्लॉट संख्या 310 व 314 एवं दक्षिण में रास्ता स्थित है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा न तो विधिवत मिसल कायम की तथा न ही कोरम में कोई आदेश पारित किया गया। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर कोई मकान नहीं है तथा न ही पट्टाधारक का कब्जा है। जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा बालीदेवी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जिस पर बालीदेवी का कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने आम मुख्तियार के जरिये प्रार्थी के भूखण्ड के सामने रास्ते की भूमि पर नीवें खोद कर कब्जा करने का प्रयास किया, तब प्रार्थी व उसकी पत्नी द्वारा अप्रार्थी के पट्टे बाबत दस्तावेजात् की मांग की गई, जिस पर अप्रार्थी के पट्टे की प्रति

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नहीं दी गई। इसके पश्चात प्रार्थीया द्वारा सिविल न्यायालय बर में वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अप्रार्थी द्वारा पट्टे की नकल प्रस्तुत की, जिस पर प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत से नकल चाही गई, जो ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं होना बताया तथा पट्टा भी संदिग्ध होना जाहिर किया। राजस्थान पंचायत नियम के प्रावधाना 161 ग के अनुसार 50 फुट रास्ता छोडा जाना आवश्यक है, जबकि अप्रार्थी उक्त पट्टे की आड में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा जारी करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कोई मिसल कायम नहीं की तथा न ही पंचायत के रेकर्ड में किसी प्रकार की आज्ञा पारित की गई। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पति के नाम जारी पट्टा आरम्भ से ही शून्य प्रभावी होने के कारण खारिज किया जावे। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, रायपुर द्वारा मिसल संख्या 3/1960–1961, प्रस्ताव संख्या 390 दिनांक 26.03.1963 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पति पुखराज के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 250 दिनांक 12.01.1964 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा अपने पत्रांक/22 दिनांक 12.03.2018 के जरिये वांछित रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया है। इस कारण प्रथम दृष्टया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पति पुखराज के नाम जारी पट्टा संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस हेतु निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे वास्तविक तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित जांच के पश्चात कानून के मुताबिक नये सिरे से कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, रायपुर द्वारा मिसल संख्या 3/1960–1961, प्रस्ताव संख्या 390 दिनांक 26.03.1963 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पति पुखराज के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 250 दिनांक 12.01.1964 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत रायपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 11/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली